

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जनपद हमीरपुर

विषय :- प्रार्थिया की धनराशि को दबंग के द्वारा वापस न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती रेखा वर्मा पत्नी श्री राम केश वर्मा निवासी ग्राम शिवानी थाना कुरारा परगना, तहसील व जिला हमीरपुर की मूल निवासी है तथा वर्तमान पनकी कानपुर नगर में सपरिवार निवास कर रही हैं। प्रार्थिया ने दिनांक 06.06.2019 में कल्लू माली पुत्र स्व० शिवपाल माली निवासी ग्राम शिवानी थाना कुरारा परगना, तहसील व जिला हमीरपुर के खेत का इकरारनामा रजिस्टर्ड पंजीकृत के माध्यम से किया था जिसकी कुल धनराशि मु.1,32,000/रूपये थी। और दिनांक 16.08.2022 को प्रार्थिया ने उपरोक्त खेत का मंसूर मु.1,00,000/- रूपये के स्टाम्प के माध्यम से कराया था जिसमें प्रार्थिया को मु.1,00,000/-रूपये में शेष धनराशि 32,000/- रूपये दो माह के अन्दर देने की बात उपरोक्त कल्लू माली पुत्र स्व० शिवपाल माली के द्वारा कही गयी थी। किन्तु प्रार्थिया के बार-बार कहने व मोबाइल संख्या 8874178501 व 6307922694 व 7523872005 पर बात करने पर उक्त कल्लू माली पुत्र स्व० शिवपाल माली कहता है मैं शेष धनराशि वापस नहीं करूंगा तुमसे जैसे भी हो मुझसे ले लो। जबकि प्रार्थिया के द्वारा कराये गए इकरारनामा का समय तीन वर्ष का हो गया है। प्रार्थिया परेशान होकर आपकी शरण में आयी हुई है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया की उपरोक्त समस्या पर विचार करते हुए उसे समाधान करवाने की कृपा करे, और शेष धनराशि मु.32,000/-रूपये वापस दिलवाने की कृपा करें, श्रीमान जी की महान दया होगी।

दिनांक -03.09.2024

Sho कुरारा
for wa.
A

प्रार्थिया रेखा वर्मा

श्रीमती रेखा वर्मा पत्नी श्री राम केश वर्मा

निवासी ग्राम शिवानी थाना कुरारा परगना,

तहसील व जिला हमीरपुर

मो.-8765430629